निविदा की तिथि–

निविदा प्रपत्र का मूल्य– 1500+GST

निविदा प्रपत्र

(ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियिम 2016 के अन्तर्गत यथासंशोधित)

कार्य का नाम– एम0आर0एफ0 सेन्टर में वैज्ञानिक पद्धति से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं चारों वार्डो में (जिस स्थान/वार्ड में कूड़ा वाहन नही जा सकता है) डोर–टू–डोर सेग्रिगेशन निस्तारण कार्य।

नगर पंचायत ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग।

E-mail-npukhimath@gmail.com

Website- www.npukhimath.in

निविदा की शर्तो :–

1– यह कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति अधिनियम 2017 के अनुसार निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि रू0 50,000. हजार की एफ0डी0आर0, सी0डी0आर, डाकघर बचत पासबुक, एन0एस0सी0 अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग के पदनाम से बंधक कर अनिवार्य रूप से देना होगी।

2– यह कि निविदा प्रपत्र में अपना नाम, पता, व्यापार करने का स्थान, टेलीफोन न0, ई–मेल का विवरण अंकित करना आवश्यक होगा।

3– यह कि सशर्त एवं ओवर राईटिंग/कटिंग वाली निविदाए स्वीकार नहीं होगी।

4– यह कि किसी एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष, निविदा समिति नगर पचांयत ऊखीमठ को होगा।

5– यह कि निविदा प्रपत्र नगर पंचायत ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग के कार्यालय से स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही क्रय किया जायेगा। अधिकृत प्रतिनिध का प्रमाण पत्र लगवाया जाना अनिवार्य है।

6– यह कि फर्म/डीलर की न्यूनतम निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित स्टाम्प पेपर 3 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर नगर पंचायत ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग के साथ अनुबन्ध करना होंगा।

7– यह कि फर्म/डीलर को आयकर एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ देनें होंगें। साथ ही जी0एस0टी0 का नोडयूज प्रमाण पत्र निविदा से पूर्व का संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8– यह कि निर्माता कम्पनी या डीलर/फर्म को विगत 3 वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24, एवं 2024–25) के आयकर रिर्टन की प्रति निविदा के साथ देने होंगें।

9– यह कि निविदा के साथ निर्माता कम्पनी का विगत 03 वर्ष का टर्नओवर 50 लाख तथा हैसियत प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10– यह कि निर्माता कम्पनी या फर्म/डीलर द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न निकायों एवं अन्य विभागों में विगत 03 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्रों को निविदा के साथ संलग्न करने होगें।

11– यह कि फर्म/डीलर को रू0 10.00 के नॉन ज्यूडिशियन स्टॉम्प पेपर पर रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर युक्त निविदा के साथ देना होगा, नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर उत्तराखण्ड राज्य का ही मान्य होगा।

12– यह कि निर्माता एवं निविदादाता द्वारा आपूर्तिकर्ता को कम्पनी/फर्म को इस आशय का शपथ–पत्र रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि किसी सरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी विभाग द्वारा उसे विगत 05 सालों में ब्लैकलिस्टेड न किया गया हो।

13– निविदा प्रपत्र मूल रूप से नगर पंचायत ऊखीमठ रूद्रप्रयाग एवं कार्यालय की वेबसाइड www.npukhimath.in से क्रय किया गया ही मान्य होगा।

14– यह कि निविदा में दी जाने वाली दरों के साथ केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सभी कर (आयकर एवं जी0एस0टी0) का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

15– यह कि वित्तीय निविदा की दरों को समस्त कर सहित अंको व शब्दों दोनों में पठनीय व स्पष्ट रूप से लिखा जायें।

16– यह कि तकनीकि बिड व वित्तीय बिड अलग–अलग लिफाफों में रखी जानी होगी, उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखना होगा, उसमें आवेदित के नाम सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। तकनीकि बिड के लिफाफे पर तकनीकि बिड लिखा जाना अनिवार्य होगा, तथा वित्तीय बिड के लिफाफों में वित्तीय बिड लिखा जाना अनिवार्य है।

17– निर्माता एवं निविदादाता के पास उत्तराखण्ड की किसी भी निकाय में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

18– यह कि फर्म/कम्पनी का उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

19– यह कि फर्म/डीलर को उत्तराखण्ड उद्योग विभाग का लाईसेंन्स एवं कम्पनी द्वारा अधिकृत फर्म/एम0एस0एम0ई0/डीलर का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

20– यह कि एम0आर0एफ0 सेन्टर में कार्यरत पर्यावरण मित्रों की सुरक्षा निविदादाता की होगी। ठेकेदार/निविदादाता के कार्मिकों के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो मुआवजे आदि भुगतान की जिम्मेदारी स्वंय फर्म/ठेकेदार की होगी।

21– यह कि एम0आर0एफ0 सेन्टर में लगी मशीनों में कोई खराबी आती है तो सम्बन्धित फर्म/निविदादाता के द्वारा ठीक/पुनःसंचालन किया जायेगा।

22— यह कि कार्य सन्तोष जनक न पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय निविदा समिति के द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जायेगा, निविदादाता को जिसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी साथ ही न्यायालयी विवाद हेतु जनपद रूद्रप्रयाग ही मान्य रहेगा।

23— यह कि, उपरोक्त कार्य की समयावधि 06 माह के लिये अनुमन्य की जायेगी, तथा इसको बड़ाने/अग्रसारित किये जाने का समस्त अधिकार इस कार्यालय में निहित होगा।

24— यह कि शासन द्वारा समय समय पर पर्यावरण मित्रों हेतु स्वस्थ्य लाभ, मेडिकल चैंकिंग व अन्य समस्त आदेशों का पालन फर्म/निविदादाता द्वारा करना होगा।

25— उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0— 223817 दिनांक 10.07.2024 के क्रम में निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व सम्बन्धित फर्म/निविदाकार को जी0एस0टी0 सम्बन्धी अदेय प्रमाण पत्र No Dues Certificate तथा समस्त देय विवरण Statement एवं विवरण Return जमा होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगें। अनुपालन नहीं किए जाने की दशा में सम्बन्धित निविदाकार को निवदा में प्रतिभाग किए जाने हेतु अनर्ह Ineligible घोषित किया जाएगा।

घोषणा पत्र

मैने/हमने उपरोक्त सभी शर्ते एवं आवश्यक सूचनायें जो निविदा पत्र के साथ प्राप्त हुइ हैं, को भली प्रकार से पढकर समझ ली हैं। मुझे/हमें सभी शर्ते स्वीकार हैं एवं वर्णित शर्तो/निर्देशों का पालन करने हेतु सहमत है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर—
निविदा दाता का नाम पता सहित—
मोबाईल न0—

कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

पत्रता एवं मापदण्डः–

1.	फर्म/डीलर को आयकर एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण एवं जी0एस0टी0 का नोडयूज प्रमाण पत्र निविदा से पूर्व का संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2.	निर्माता कम्पनी या डीलर/फर्म को विगत 3 वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24, एवं 2024–25) के आयकर रिर्टन किया जाना अनिवार्य है।
3.	निर्माता कम्पनी का विगत 03 वर्ष का टर्नओवर 50 लाख तथा निविदादाता को हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4.	निर्माता एवं निविदादाता के पास उत्तराखण्ड की किसी भी निकाय में कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य रूप से होनाचाहिए।
5.	फर्म/कम्पनी का उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड में पंजीकृत अनिवार्य रूप से होना चाहिये।
6.	फर्म/डीलर को उत्तराखण्ड उद्योग विभाग का लाईसेंन्स एवं कम्पनी द्वारा अधिकृत फर्म/एम0एस0एम0ई0/में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

घोषणा पत्र

मैने/हमने उपरोक्त सभी पात्रता मापदण्ड एवं आवश्यक सूचनाओं, को भली प्रकार से पढकर समझ ली हैं। हमारी फर्म/कम्पनी के द्वारा उपरोक्त सभी पात्रता मापदण्डों का किया जा रहा है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर–
निविदा दाता का नाम पता सहित–
मोबाईल न0–

कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

निविदा फार्म

नियम 18 (1) सा0नि0नियमों के अन्तर्गत

नगर पंचायत ऊखीमठ।

कार्य का नाम–

ठेकेदार का नाम–

पंजीकरण जिस विभाग का है–

जी0एस0टी0नं0–

ठेकेदार के लिए आवश्यक निर्देश

1. प्रत्येक कार्य की सूचना अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग, के सूचना पट पर चस्पा है।
2. प्रारूप पत्र नगर पंचायत ऊखीमठ में उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगें।
3. प्रत्येक टेण्डर/कोटेशन शील मुहर बन्द लिफाफे पर दिया जायेगा।
4. प्रत्येक टेण्डर/कोटेशन फार्म में अपनी दर स्पष्ट तथा अंको तथा शब्दो में उलेख करना होगा।
5. एक कार्य के लिए एक ही टेण्डर/कोटेशन फार्म प्रयोग किया जायेगा।

कार्य का विवरण–

1. कार्य का नाम–
2. अनुमानित पूंजी–
3. प्रतिभूति धनराशि–

मैं संलग्न दरों पर निविदा लेना स्वीकार करता हूं।

निविदा दाता का हस्ताक्षर

नाम–

पूरा पता टेलीफोन नं0 सहित–

।। संशोधित सार्वजनिक निविदा सूचना।।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य वित्त आयोग मद से नगर पंचायत ऊखीमठ, जनपद–रूद्रप्रयाग के एम0आर0एफ0 सेन्टर में वैज्ञानिक पद्धति से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन किये जाने के क्रम में कूड़े का निस्तारण किये जाने एवं एम0आर0एफ0 सेन्टर की साफ–सफाई डोर–टू–डोर सेग्रिगेशन व्यवस्था तृतीय पक्ष के माध्यम से कराये जाने हेतु कुशल फर्मों/संस्था को दिये जाने हेतु निविदा आंमत्रित की जाती है। दक्ष एवं कुशल अनुभवी फर्मों /संस्थान निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 15/05/2026 को अपराह्न 01:00 बजे तक निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय पृथक–पृथक) आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपराह्न 2:00 बजे तक जमा की जा सकती है, जो उसी दिन अपरिहार्य कारणों को छोड़कर समय 3:00 बजे अपराह्न को निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के साथ जमानत हेतु 50000/– एफ0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ऊखीमठ, जनपद–रूद्रप्रयाग के नाम बन्धक हो, संलग्न होना अनिवार्य है। निविदा निर्धारित तिथि एवं समय तक स्वीकार किये जायेगें। निर्धारित तिथि या समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को स्थगित/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

क्र0सं0	कार्य का नाम	नगर क्षेत्र में कुल कूड़े की मात्रा प्रति दिन लगभग।	कार्य हेतु उल्लेखित विवरण
01	एम0आर0एफ0 सेन्टर में वैज्ञानिक पद्धति से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एव चारों वार्डो में डोर–टू–डोर सेग्रिगेशन निस्तारण कार्य।	1 टन प्रतिदिन	1. प्रतिदिन एकत्रित कूड़े का वैज्ञानिक पद्धति से एम0आर0एफ0/ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल पर प्रतिदिन वैज्ञानिक पद्धति से सूखे कूड़े का पृथकीकरण कर कम्पेक्टर मशीन से कम्पेक्ट करते हुये निस्तारित करना एवं गीले कूड़े को कम्पोस्टर मशीन एवं कम्पोस्ट पिटों के माध्यम से निस्तारित करना । चारों वार्डों में डोर–टू–डोर सेग्रिगेशन को सुनिश्चित करना। 2. स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छतम पोर्टल पर प्रति दिवस/प्रतिमाह की समस्त प्रगति एवं सूचनायें व नगर पंचायत द्वारा समय–समय पर चलाये गये स्वच्छता अभियानों एवं अभिनव पहल को अद्यतन किया जाना व मासिक एम0आई0एस0 अद्यतन किया जाना। 3. स्वच्छता को अधिक प्रभावशाली बनाये जाने हेतु जन–मानस की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु समय–समय पर प्रचार प्रसार किया जाना। 4. स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत संचालित वार्षिक रूप से कये जाने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण की समस्त तकनीकी एवं व्यवहारिक गतिविधियों में कार्य किया जाना एवं शहरी विकास विभाग व भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा– निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाना।

नियम एवं शर्तें–

01– निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक लिफाफे में टेण्डर बाक्स में डाली जायेगी।

02– निविदादाता द्वारा उत्तराखण्ड की निकायों में किये गये समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न

Scanned with OKEN Scanner

करना होगा।

03— निविदा के साथ 100.00 रू0 का स्टाम्प पेपर रसीद टिकट पर हस्ताक्षर युक्त संलग्न करना होगा।

04— अनुप्रयुक्त कूड़े को लैण्डफिल एवं व्यवस्थित तरीके से निस्तारण करना होगा।

05— पर्यावरण मित्रों की सुरक्षा निविदादाता की होगी। ठेकेदार/निविदादाता के कार्मिकों के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो मुआवजे आदि का भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार/निविदादाता की होगी।

06— एम0आर0एफ0 सेन्टर कूड़ा कलैक्शन की दैनिक एवं मासिक रिपोर्ट अधिशासी अधिकारी एवं सम्बन्धित कार्मिक को प्रस्तुत करनी होगी।

07— कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जायेगा, निविदादाता को जिसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

08— किसी भी प्रकार का वाद विवाद होने पर निविदा समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

09— काली सूची में दर्ज न होने का शपथ पत्र देय होगा।

10— अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ से प्राप्त की जा सकती है।

नोटः—उपरोक्त निविदा से सम्बन्धित नियम/शर्तें एवं विस्तृत जानकारी कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट — www.npukhimath.in से प्राप्त कर सकते हैं।

(सुनील वर्मा)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत ऊखीमठ।

(कुब्जा धर्म्वाण)
अध्यक्ष
नगर पंचायत ऊखीमठ।

।। कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ।।

पत्रांक 62/न0पं0—ठे0अ0प्र0/2025—26 **दिनांक 29 अप्रैल, 2026**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु सादर प्रेषितः—

1— जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग।

2— अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0ऊखीमठ।

3— उपकोषाधिकारी ऊखीमठ।

4— प्रभारी/संवाददाता दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना का प्रकाशन करवाकर बिल जिला सूचना अधिकारी से प्रमाणित करवाकर भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करना चाहें।

5— कार्यालय नोटिस बोर्ड।

(सुनील वर्मा)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत ऊखीमठ।

O/c

Scanned with OKEN Scanner